राजस्थान सरकार
Government of Rajasthan
निदेशालय खान एवं भू विज्ञान
DIRECTORATE OF MINES & GEOLOGY,
खनिज भवन/Khanij Bhawan, उदयपुर/Udaipur – 313 001.
दूरभाष/Phones: 2415091-95

क्रमांकः निदे/प–2/कास/विविध/2024–

<u>आदेश</u>

विभागीय कार्यो की समीक्षा के दौरान यह ज्ञात हुआ है कि विभागीय ऑनलाईन सिस्टम के मास्टर मेप पर खनन पट्टों की प्रदर्शित स्थिति में काफी विसंगतियॉ है। इन विसंगतियॉ को दुरस्त करने के लिये खण्ड/उपखण्ड के समस्त खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 30–09–2024 तक निम्न कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित किया जाना सुनिश्चित करें:–

1– कार्यालय के मानचित्रकार द्वारा खनन पट्टों की संविदा के साथ सलंग्न सीमांकन प्रतिवेदन में वर्णित F.R.P. एवं विवरण सूची को विभागीय ऑनलाईन सिस्टम के L.I.S. मॉड्यूल में प्रदर्शित F.R.P. एवं विवरण सूची से मिलान किया जायेगा। यदि मिलान के दौरान ऑनलाईन इन्द्राज एवं सीमांकन प्रतिवेदन में भिन्नता पायी जाती है तो पंजीकृत सीमांकन प्रतिवेदन के अनुसार L.I.S. मॉड्यूल में आवश्यक संशोधन कर अपडेट करेगें।

2– मानचित्रकार द्वारा एक राजस्व ग्राम के खनन पट्टों (जो एक F.R.P या एक से अधिक F.R.P से भी जुड़े हो) का मिलान एक साथ किया जायेगा।

3– इस कार्य को निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने हेतु प्रत्येक मानचित्रकार द्वारा प्रतिदिन न्यूनतम 25 खनन पट्टों का मिलान कर आवश्यकतानुसार ऑनलाईन सिस्टम में अपडेट किया जावेगा एवं किये गये अपडेट को सत्यापित करते हुए सॉय 6.00 बजे तक सूचना निर्धारित प्रपत्र में खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता के माध्यम से संबंधित अधीक्षण खनि अभियन्ता एवं अतिरिक्त निदेशक (खान) को प्रेषित करेगें।

4– मूल खनन पट्टे के सीमांकन प्रतिवेदन एवं मूल मास्टर मेप से मिलान के दौरान F.R.P. की मौका स्थिति में संदेह होने पर मानचित्रकार ऐसे F.R.P. की सूची मय सीमांकन प्रतिवेदन वरिष्ठ खनिकार्यदेशक/खनिकार्यदेशक/ सर्वेयर (फिल्ड स्टॉफ) को मौका सत्यापन हेतु उपलब्ध करवायेगें।

5– संबंधित फिल्ड स्टॉफ द्वारा मूल सीमांकन प्रतिवेदन एवं कार्यालय के मास्टर मेप को ध्यान में रखते हुए F.R.P. के सही निर्देशांक (मास्टर मेप में वर्णित कम से कम तीन अन्य रैफरेन्स बिन्दुओं से मिलान द्वारा) लिये जाकर मानचित्रकार को सत्यापित कर अगले कार्यदिवस में उपलब्ध करवाया जावेगा।

6– F.R.P. के निर्देशांक लेने में DGPS/GNSS उपकरण का ही उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा।

7– यदि कार्यालय में DGPS/GNSS खराब अथवा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में संबंधित खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता निर्धारित समयावधि को ध्यान में रखते हुए अविलम्ब कार्यालय व्यय से DGPS/GNSS की आवश्यक व्यवस्था कर अथवा संबंधित फिल्ड स्टॉफ के सुपर–विजन में आउटसोर्सिंग करवाकर कार्य नियत समयावधि में पूर्ण कराना सुनिश्चित करेगें।

8– पंजीकृत संविदा के साथ सलंग्न सीमांकन प्रतिवेदन में अंकित विवरण सूची का

RajKaj Ref No.: 9997153

L.I.S. में प्रदर्शित आंकडो के मिलान का दायित्व संबंधित मानचित्रकार का होगा। इसी प्रकार F.R.P. के निर्देशांक लेने का दायित्व संबंधित फिल्ड स्टॉफ का होगा। भविष्य में किसी भी स्तर पर जॉच में कोई अनियमितता/लापरवाही पाई जाती है तो इसका उत्तदायित्व संबंधित मानचित्रकार/फिल्ड स्टॉफ का होगा।

9– सीमांकन प्रतिवेदन एवं L.I.S. डाटा के सत्यापन/संशोधन उपरान्त खनन पट्टों में क्लोजिंग एरर, ऑवर लेपिंग अथवा F.R.P. में भिन्न स्थिति आती है जिससे या तो समीपस्थ अन्य खनन पट्टों की मास्टर मेप पर स्थिति में परिवर्तन हो जाता है अथवा कोई नई परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, ऐसी स्थिति में संबंधित खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता ऐसे प्रकरणों में कोई कार्यवाही नहीं करेगें। ऐसी भिन्नता वाले समस्त प्रकरण श्रेणीवार बनाकर कारण सहित रिपोर्ट संबंधित खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता निदेशालय को प्रेषित करेंगे। साथ ही इस आदेश की पालना के दौरान ऐसी कोई नई कठिनाई/परिस्थिति बनती है तो निदेशालय को विवरण के साथ तुरंत सूचित करें।

यहां यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश के माध्यम से बिन्दु संख्या 1 में उल्लेखित कथन के अनुसार भिन्नता पाये जाने पर ही संशोधन किया जा सकेगा। अन्य किसी भी प्रकार का संशोधन अनुमत नहीं होगा।

दिनांक 30–09–2024 तक उपरोक्त समस्त कार्य पूर्ण कर दिनांक 07–10–2024 तक संबंधित खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता, मानचित्रकार/फिल्ड स्टॉफ द्वारा किये गये समस्त कार्यो की विवेचना कर अपनी संस्तुति के साथ रिपोर्ट निदेशालय को प्रेषित करेगें।

संलग्नः–प्रारूप तालिका (Format-1)

(भगवती प्रसाद) I.A.S.
निदेशक

क्रमांकः निदे/प–2/कास/विविध/2024–

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. समस्त अतिरिक्त निदेशक(खान)/अतिरिक्त निदेशक(भूविज्ञान)।
2. समस्त अधीक्षण खनि अभियन्ता/अधीक्षण भूवैज्ञानिक।
3. समस्त खनि अभियन्ता/वरिष्ठ भूवैज्ञानिक।
4. समस्त सहायक खनि अभियन्ता।

(भगवती प्रसाद) I.A.S.
निदेशक

Signature Not Verified

Digitally Signed by Bhagwati Prasad Kalal
Designation : Director
Date :23-08-2024 05:56:54